अनुदान संख्या 92 – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
GRANT No. 92 - MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4844,00,00		4913,66,00	4891,73,98	-21,92,02
पूरक	Supplementary	69,66,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					26,91,04
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			15,00,00	5,36,75	-9,63,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,63,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2192.02 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹6966.00 लाख के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹2691.04 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2192.02 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grants of ₹6966.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and nearly 1 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹2691.04 lakhs) also exceeded the overall savings.

Saving/excess occurred under the following major heads:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष		Head				
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र		Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.		2490.00			
पू.	S.		1.00	..	..	..
पु.	R.		-2491.00			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी		Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.		83317.00			
पू.	S.		6964.00	90511.23	91011.18	+499.95
पु.	R.		230.23			

(I) ₹2491.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2081.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी – सांख्यिकी – क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास – राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस नमूना कार्य कार्यान्वित करने के लिए सहायता अनुदान)" – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अव्ययित राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए ।

(I) Provision of ₹2491.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under two heads; of these ₹2081.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Surveys and Statistics - Economic Advice and Statistics - Statistics - Capacity Development (Capacity Development of NSSO - Grant-in-aid to the States for carrying out Central NSS Sample work in North Eastern Region)" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹614.37 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत थीं।

(II) Under two heads savings of ₹614.37 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 11 percent and 14 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹259.64 लाख) प्रयुक्त हो गईं

2.(I) The above savings were partly (₹259.64 lakhs) utilized for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – केंद्रीय साख्यिकी कार्यालय – क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास तथा संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)" के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय,₹756.20 लाख था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Central Statistical Office - Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development and Capacity Building)". Actual excess, however, was ₹756.20 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण और सांख्यिकी – राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय – अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत – अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹659.61 लाख का अधिक व्यय (₹33339.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major head "3454" - "Surveys and Statistics - National Sample Survey Office - Subordinate Office"- excess of ₹659.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33339.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1500.00	536.76	536.75	-0.01
पु.	R.	-963.24			

(I) "सांख्यिकी – क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण)" के अंतर्गत – ₹963.25 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Statistics - Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development and Capacity Building)" - saving of ₹963.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to slow progress of construction work by Central Public Works Department and non-materialisation of proposals towards purchase of machinery and equipments.